



2026: AHC : 38869

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - 763, वर्ष 2026

कुमारपाल सिंह

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता- देवेश कुमार शुक्ला

प्रतिवादी के अधिवक्ता- मुख्य स्थाई अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री शरद चंद्र सिंह को सुना गया।
2. तत्काल याचिका प्रतिवादी संख्या 3/ राजस्व परिषद, उ.प्र. प्रयागराज को निगरानी संख्या 4598, वर्ष 2024 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या AL20241802004598) (देवेन्द्र पाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य), धारा 210, उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 के अंतर्गत, निर्धारित अवधि के भीतर तय करने का निर्देश देने हेतु परमादेश के लिए दायर की गई है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि निजी प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा याचिकाकर्ता को विपक्षी पक्षकार बनाते हुए उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के तहत कार्यवाही से उत्पन्न निगरानी, प्रतिवादी संख्या 3/ राजस्व परिषद, उ.प्र., प्रयागराज के समक्ष वर्ष 2024 से लंबित है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि मामले की आदेश-तालिका की प्रति याचिका के साथ संलग्नक संख्या 3 के रूप में संलग्न की गई है ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि मामले की कार्यवाही शीघ्रता से आगे नहीं बढ़ रही है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना और तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी संख्या 3/ राजस्व परिषद, उ.प्र., प्रयागराज को निर्देशित किया जाता है कि वे उपर्युक्त निगरानी संख्या 4598, वर्ष 2024 (देवेन्द्र पाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) का निस्तारण, कानून के अनुसार पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति उनके समक्ष प्रस्तुत करने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर शीघ्रता से करें।
5. तदनुसार, रिट याचिका अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति)

20 फरवरी, 2026

रमीज़

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।